न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 30/2021

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. इकबाल सिंह पुत्र श्री गोगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. जगसीर सिंह पुत्र श्री गोगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

— वादीगण

बनाम

1. गोगड़ सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. किन्दरपाल कौर पुत्री श्री गोगड़ सिंह पत्नी श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 9 बी बी रत्तेलला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. अकविन्द्र कौर पुत्री श्री गोगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. श्रीमती चरणजीत कौर धर्मपत्नी श्री गोगड़ सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।
6. शाखा प्रबन्धक, एच डी एफ सी बैंक लि0 शाखा श्रीगंगानगर।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा (वादीगण)
अधिवक्ता श्री रोबिन कुमार गुम्बर (प्रतिवादी–1 ता 4)
पैरोकार राज (प्रति.–5)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 19.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की बहिने तथा प्रतिवादिया संख्या 4 वादीगण की माता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके चक 25 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/18 का मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 4.215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न वाद पत्र है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजो से विरासत मे प्राप्त हुई हैं तथा जद्दी जायदाद (पैतृक सम्पत्ति) है। हिन्दू विधि के अनुसार संतान का अपने पिता की पैतृक सम्पति में जन्म लेते ही हक पैदा हो जाता है। उक्त सम्पति पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने प्राकृतिक स्नेहवश अपने हक वा हिस्सा का हक परित्याग वादीगण के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि का आपसी सहमति से वादीगण के साथ बंटवारा करके घरू बंटवारानुसार वादी संख्या 1 इकबाल सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 10/1 की 0.210 है0, किला नम्बर 11 से 15 की 1.265 है0 व किला नम्बर 16 में से 0.0215 है. (किला नम्बर 15 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.4965 है। भूमि व वादी संख्या 2 जगसीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
(राज.)

Scanned with CamScanner

नम्बर 16 में से 0.2315 है0 व किला नम्बर 17 से 21 की 1.265 है0 कुल 1.4965 है। भूमि बंटवारा में दी हुई है। जिस पर वादीगण काबिज हैं। वादीगण उक्त भूमि में काश्त कर रहे है तथा उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रति0 सं0 1 ने वादी से कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। कुछ दिन पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा। परन्तु दिनांक 05.01.2020 को प्रतिवादी संख्या : ने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है तथा उसने वादी को धमकी दी है कि तुम्हे कृषि भूमि नही दूंगा तुमने जो करना है, कर लो। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। यही वाद कारण है। उक्त हालातों मे उक्त जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः—

(1) यह कि वाके चक 25 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 31/18 का मुरब्बा नम्बर 9 की कुल 4.215 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) में से वादी संख्या 1 इकबाल सिंह को मुरंब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 10/1 की 0.210 है0, किला नम्बर 11 से 15 की 1.265 हैक. व किला नम्बर 16 में से 0.0215 है. (किला नम्बर 15 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.4965 है। भूमि व वादी संख्या 2 जगसीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 16 में से 0.2315 हैक. व किला नम्बर 17 से 21 की 1.265 हैक. कुल 1.4965 हैक. भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादीगण के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 द्वारा दिनांक 05.02.2021 को आपसी सहमति के आधार पर ईकबालदार पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण की बहिनें तथा प्रतिवादिया संख्या 4 वादीगण की माता है। वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 गोगड़ सिंह के नाम से वाके चक 25 जैड के मुरब्बा नम्बर 9 में 4.215 हैक. भूमि होना भी स्वीकार है। यह सही है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है व प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई हैं। यह भी सही है कि प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 अपनी स्वेच्छा से उक्त भूमि में से कोई हक वा हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तथा अपने हक वा हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर चुकी है। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक वा हिस्सा बनता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा करके वादी संख्या 1 इकबाल सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 10/1 की. 0.210 है0, किला नम्बर 11 से 15 की 1.265 है0 व किला नम्बर 16 में से 0.0215 है. (किला नम्बर 15 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.4965 है0 भूमि व वादी संख्या 2 जगसीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 16 में से 0.2315 हैक. व किला नम्बर 17 से 21 की 1.265 है0 कुल 1.4965 हैक कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, उक्त भूमि पर वादीगण काबिज चले आ रहें हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की ऐसी मंशा नहीं थी कि वह वादीगण को उनके हिस्सा की भूमि ना दे, मगर कोरोना महामारी के चलते प्रतिवादी संख्या 1 ने शहर आकर कार्यवाही करने से इन्कार किया । जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में चाहा गया अनतोष वादी को प्रदान किया जावे तथा वादी संख्या 1 इकबाल सिंह को चक 25 जैड के मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 10/1 की 0.210 है0, किला नम्बर 11 से 15 की 1.265 है0 व किला नम्बर 16 में से 0.0215 है. (किला नम्बर 15 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.4965 है0 भूमि व वादी संख्या 2 जगसीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 16 में. से 0.2315 है0 व किला नम्बर 17 से 21 की 1.265 है0 कुल 1.4965 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से अमल दरामद की जाकर अलग खाता कायम किया जावे। इसमें प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत हैं।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्री गंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पश हुआ।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के समस्त वारिसान पत्रावली में पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी संख्या 1 (वादी के पिता) के नाम जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 ग्राम 25 जेड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला भू. अ.नि. क्षेत्र 18 जैड खाता संख्या 31/18, वादी द्वारा विरास्त साक्ष्य के रूप में जमाबंदी ग्राम 25 जेड, भू.अ.नि. रामनगर खाता संख्या 164, जमाबंदी नामान्तर पंजीका ग्राम 25 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर खाता संख्या 10/24 की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदश 12 नियम 6, आदश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 इकबाल सिंह को चक 25 जैड के मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 10/1 की 0.210 है0, किला नम्बर 11 से 15 की 1.265 है0 व किला नम्बर 16 में से 0.0215 है. (किला नम्बर 15 के साथ चिपता हुआ भाग) कुल 1.4965 है0 भूमि व वादी संख्या 2 जगसीर सिंह को मुरब्बा नम्बर 9 का किला नम्बर 16 में. से 0.2315 है0 व किला नम्बर 17 से 21 की 1.265 है0 कुल 1.4965 है0 कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.02.2021 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी सह
श्री गंगानगर (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner